

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/7859-7891 दिनांक: 04.04.2023

जिला कलक्टर,
एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY)
समस्त राजस्थान।


विषय:- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्य स्थल पर सुविधाओं एवं श्रमिकों के कार्य समय में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-विभागीय समसख्यंक पत्रांक 72979-73199 दिनांक 03.09.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के बुलट पोइन्ट 10 के क्रम में श्रमिकों की कार्य अवधि सामान्यतः प्रातः 8:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक (अपरान्ह दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक भोजन अवकाश) निर्धारित की गई है। राज्य में गर्मी के मौसम को मध्य नजर श्रमिकों के कार्य का समय प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (विश्राम काल रहित) निर्धारित किया जाता है, फिर भी जैसा कि पूर्व में निर्देश दिये गये हैं, स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक अपने स्तर से आवश्यकतानुसार कार्यसमय संशोधित कर सकेंगे।


इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुविधा हेतु निम्न व्यवस्था/कार्यवाही सुनिश्चित की जावे:-

- कार्यस्थल पर श्रमिकों को स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था (मटकीयों में) उपलब्ध की जावे।
- कार्यस्थल पर श्रमिकों हेतु छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार हेतु मेडिकल किट बॉक्स (इलेक्ट्राल/ग्लूकोज एवं अन्य दवाईयां) की पर्याप्त व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जावे।


(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव

क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/7892-8142 दिनांक: 04.04.2023
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, समस्त संभागीय आयुक्त, जयपुर, राजस्थान।
4. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
5. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम/परिषद, राजस्थान।
7. स्टेट एम.आई.एम. मैनेजर (IRGY) को भेजकर लेख है कि आदेश को IRGY पोर्टल पर अपलोड की जाने बाबत।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(हृदयेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव